अति महत्वपूर्ण/इ

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
आगरा

सेवा में,

कार्यालयाध्यक्ष,
समस्त राजकीय कार्यालय, जनपद आगरा।

पत्रांक : मु.चि.अ./तम्बाकू नि. प्रकोष्ठ/2020–2021/3822 दिनांक : 19/05/20

विषय : कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव हेतु समस्त सरकारी कार्यालयों में पान मसाला/तम्बाकू/अन्य तम्बाकू उत्पाद प्रतिबंधित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक प्रमुख सचिव, चिकित्सा अनुभाग – 5 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ की अधिसू संख्या– 548/पाँच–5–2020 दिनांक 14.03.2020, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश लखनऊ पत्र संख्या– राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2019–20/ 8365 लखनऊ/ दिनांक 18.3.2020 में दिये गये नि निर्देशों के अनुपालन में आप सभी को अवगत कराना है कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश 786/तीन–18–06 (9)18 दिनांक 12.10.2018 के द्वारा दिनांक 02.10.2018 से प्रदेश के समस्त शासकीय प्रतिष्ठानों मुख्यालयों, सरकारी प्रतिष्ठानों एवं स्थानीय कार्यालयों में तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित कि जा चुका है तथा पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में तम्बाकू एवं पान मसा के उपभोग को पूर्णतया प्रतिबन्धित करने के निर्देश दिये जा चुके है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वाइ (कोविड–19) को महामारी घोषित किया जा चुका है तथा भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे विश्व व्य महामारी को गंभीरता से लेते हुए इसकी रोकथाम एवं बचाव हेतु दिशा निर्देश जारी करते हुए हेल्पलाइन नम्ब 18001805145 भी जारी किया गया है। चूँकि प्रदेश में लगभग 29.4% लोग धूम्रपान रहित तम्बाकू का विभिन्न रूप सेवन करते है, जो कि वर्तमान में तम्बाकू एवं पान– मसाला का सेवन कर इधर–उधर थूकने से कोरोना वाइ (कोविड–19) को फैलने में सहायक हो सकता है एवं प्रधानमंत्री द्वारा बहुउद्देशीय स्वच्छ भारत मिशन व अन्य बीमारि की रोकथाम हेतु भी तम्बाकू व पान मसाला का सेवन बड़ी बाधा है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप कोरोना वायरस (कोविड–19) महामारी को गम्भीरता से लेते हुये अ – अपने कार्यालयों में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने, तम्बाकू एवं पान–मसाला खाकर यत्र–तत्र थूकने सी0ओ0टी0पी0ए0 – 2003 के नियमों/उपनियमों के अन्तर्गत तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
आगरा

पत्रांक : मु.चि.अ./तम्बाकू नि. प्रकोष्ठ/2020–2021 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. राज्य नोडल अधिकारी राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिलाधिकारी महोदय, आगरा।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा।
5. समस्त चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी (ग्रामीण/शहरी) जनपद आगरा को इस निर्देश के कि अपने – अपने चिकित्सालयों में उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
आगरा